न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 03/2016 तारीख रजू:— 18.05.2016

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनूपसिंह

R.A.S.

साबूराम पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी खेडी चांदला (कुट्टीन का पुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————————— प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र मिश्रा जाति मीना निवासी खेडी चांदला तहसील हिण्डौन
2. ख्यालबाई पुत्री मिश्रा पत्नि अमरसिंह जाति मीना निवासी राजौली तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. सौमोती बेबा मिश्रा जाति मीना निवासी खेडी चांदला (कुट्टीन का पुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली — मृतक
4. नायब तहसीलदार उप तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली
5. ग्राम पंचायत पटौंदा तामील जरिये सचिव ग्राम पंचायत पटौंदा, पंचायत समिति हिण्डौन जिला करौली ———————————— अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 600 दिं0 20.04.2015 ग्राम खेडीचांदला तस्दीक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा, पंचायत समिति हिण्डौन

उपस्थित:— 1.श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट अपीलान्ट
2. श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट सं01

निर्णय दिनांक :— 27-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.14 है0, 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 स्थित ग्राम खेडीचांदला तहसील हिण्डौन जिला करौली प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता तथा अप्रार्थी सं03 के पति स्व0 मिश्रा पुत्र भौरया जाति मीना निवासी खेडीचांदला के स्वामित्व, कब्जे, खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि रही है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं01 अपील हाजा के खातेदार मिश्रा पुत्र भौरया का दिनांक 28.02.2006 को देहावसान हो गया, मिश्रा ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे, जिनमें प्रथम विवाह वाली पत्नि स्व0 मूली मीना के एक पुत्र प्रार्थी एवं दूसरी पत्नि अप्रार्थी सं03 के एक पुत्र अप्रार्थी सं01 व एक पुत्री अप्रार्थी सं02 पैदा हुई थी, स्व0 मिश्रा की मृत्यु से पूर्व मीना जाति में प्रचलित परम्परा व रीति रिवाज के अनुसार उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात को उनके ही द्वारा अपनी प्रथम पत्नि मूली के पुत्र प्रार्थी एवं दूसरी पत्नि अप्रार्थी सं03 व उनके पुत्र व पुत्री अप्रार्थी सं01 व 2 के मध्य 1/2, 1/2 मौके पर बांटकर अलग अलग कर दिये, इस प्रकार मिश्रा की खातेदारी व कब्जे की कृषि आराजी मुतजिका मद नं01 अपील पर विगत करीब 30–35 वर्षों से 1/2 हिस्से पर प्रार्थी एवं 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी सं01 ता 3 काबिज व दखील हैं, मिश्रा की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं01 ता 3 के मन में बेईमानी पैदा हो गई और उन्होंने योजना बनाकर प्रार्थी को उसके 1/2 हिस्से की बजाय केवल 1/4 हिस्सा ही विरासत में दिलवाने और उसके 1/4 हिस्से को हडपने की तैयारी की, पटवारी हल्का व सरपंच से इस सम्बन्ध में जब अप्रार्थी सं01 ता 3 ने साज कर दिया और प्रार्थी को धमकी दी तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं01 ता 3 तथा लैण्ड होल्डर उप पंजीयक तथा भूमि विकास बैंक के विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन में एक दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी साबूराम बनाम कल्याण दिनांक 22.09.2006 को दावा नम्बरी 203/2006 पेश कर दिया। प्रार्थी द्वारा दावे के साथ अप्रार्थी सं01 ता 3 व अन्य के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नम्बर 46/2009 तथा 203/2009 ब उनवानी साबूराम बनाम कल्याण आदि भी न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.04.2011 को निर्णय इस आशय का पारित किया कि सायल साबूराम का प्रार्थना पत्र खिलाफ गैरसायलान अप्रार्थी सं01 ता 3 व अन्य बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 203/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण आदि स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा तक पाबन्द किया जाता है कि आराज़ी खसरा नम्बर 1026,110,111/906, 112,114 कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम खेडीचांदला में सायल के हिस्सा 1/2 के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें ना ही भूमि रहन–बय करें, मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें, गैरसायल नं01 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी मुकदमा नं0 46/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण आदि खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मुकदमा नं0 203/2009 में लगाई जावे। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील संख्या 31/2011 पेश की गई, जिसे प्रार्थी न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02. 2012 को खारिज फरमाया गया, उक्त अपील के खारिज होने के पश्चात अप्रार्थी सं0 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2012 नम्बर

07/2012 को भी प्रार्थी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.06.2014 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया, इस प्रकार उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2011 बसिलसिले मुकदमा नं0 203/2009 एवं मुकदमा नं0 46/2009 किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक अपास्त , परिवर्तित, संशोधित नहीं किया गया है और आज भी प्रभावी है। उक्त प्रार्थना पत्र टी.आई. से सम्बन्धित मूल वाद आज भी न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन सिटी में दावा नम्बर 203/2006 के तौर पर लम्बित है। जिसमें सुनवाई की आगामी तारीख पेशी 24.06.2016 नियत है।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि अप्रार्थी सं01 ता 3 हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा से साज कर न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के पारित निर्णय दिनांक 08.04.2011 की स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हुए भूमि मुतजिका मद नं01 अपील की विवादित आराजी जिसके रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने के लिए वो पाबन्द थे में से प्रार्थी के 1/4 हिस्से को हडपने की गरज से गुपचुप व बगैर मौके की जॉच किये एक नामान्तकरण बजाय प्रार्थी के 1/2 हिस्से के केवल उनके हिस्सा में 1/4 एवं अपने हिस्से में 1/2 के बजाय 3/4 हिस्सा दर्ज करवाते हुए विधि विरूद्ध नामान्तकरण सं0 600 दिनांक 20.04.2015 को अप्रार्थी सं0 4 से अपने हक में तस्दीक करवा लिया है। जिसके सम्बन्ध में ब्रीच का प्रकरण प्रार्थी द्वारा पृथक से पेश किया गया है। नामान्तकरण संख्या 600 जेरे बहस निम्न आधारों पर काबिले निरस्त है।

1. नामान्तकरण जेरे बहस न्यायालय निर्णय दिनांक 08.04.2011 की अवहेलना करते हुए दावा हाजा के लम्बित रहने के दौरान विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक किया गया है, जो कि इसी बिना पर काबिले खारिज है।
2. नामान्तकरण जेरे बहस हल्का पटवारी द्वारा महज ग्राम पंचायत के सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर बगैर मौके की जॉच किये भरा गया है, जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई जॉच किसी प्रकार की नहीं की है और ना ही प्रार्थी को कोई नोटिस दिया है। नामान्तकरण जेरे बहस में अपनाई गई समस्त प्रकिया विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया के विपरीत है और काबिले खारिज है।
3. नामान्तकरण जेरे बहस तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया गया है कि अनुसूचित जन जाति में यदि किसी व्यक्ति की दो पत्नियॉ हैं तो उन दोनों पत्नियों के पुत्र, पुत्रियों को 1/2, 1/2 हिस्से की सम्पत्ति ही पुराने हिन्दू उत्तराधिकार कानून के मुताविक विरासत में प्राप्त होती है, इसलिए भी नामान्तकरण जेरे बहस काबिले मंसूख है।
4. विवादित आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं01 ता 3 के बीच मृतक मिश्रा के जीवन काल के दौरान ही 1/2, 1/2 हिस्से का मौके पर बंटवारा हो रहा है, अलग अलग डौल मेंढ कायम हैं। नामान्तकरण जेरे बहस

तस्दीक करने से पूर्व उक्त तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है। इसलिए नामान्तकरण काबिले खारिज है।

5. मुताविक पंचायत कानून सरपंच को ऐसे विवादित नामान्तकरण को तस्दीक करने का कोई विधिक हक प्राप्त नहीं है। नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार केवल ग्राम पंचायत को है, जिसके द्वारा नामान्तकरण जेरे बहस तस्दीक नहीं किया गया है, इस कारण भी नामान्तकरण जेरे बहस काबिले खारिज है।

6. अन्य उज्रात वरवक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेंगे।

8. नामान्तकरण जेरे बहस के तस्दीक करने की समस्त प्रक्रिया ग्राम पंचायत हल्का पटवारी एवं अप्रार्थी सं01 ता 3 द्वारा गुपचुप में सम्पन्न की गई है, जिसके सम्बन्ध में सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थी को दिनांक 126.04.2016 को किसी अन्य कार्य के लिए जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई है, जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत डांक उक्त नामान्तकरण की प्रति प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और तत्पश्चात दिनांक 01.05.2016 को पुनः उप तहसील श्रीमहावीरजी में प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 03.05.2016 को नामान्तकरण की प्रति प्राप्त हुई है। इसलिए अपील हाजा जानकारी होने से अन्दर म्याद पेश की है।

अतः अपील प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामान्तकरण जेरे बहस संख्या 600दिनांक 20.04.2016 मंसूख कर निरस्त फरमावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस/ अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस सं01 व 3 बाद तामील उपस्थित जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट नं0 2 की ओर से श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश करने को समय चाहा किन्तु बकालतनामा पेश नहीं किया। रेस्पोडेन्ट नं01 व 2 की ओर से अपील का जबाव श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट द्वारा पेश किया गया है, जो शामिल मिशल है। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 600 फैंसल दिनांक 20.04.2015, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 46/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 08.04.2011, फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 42/2011 उनवानी कल्याण वगैराह बनाम साबूराम निर्णय दिनांक 23.03.2012 की प्रति, फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रार्थना पत्र संख्या 07/2012 की आदेशिका दिनांक 26. 06.2014 की प्रति, फोटो प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत पटौंदा पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1 दिनांक 03.05.2016, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067—70, फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा

नं0 203/2006 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह की आदेशिका दिनांक 09.03.2016 तक की एवं वाद पत्र की प्रति, पेश की हैं।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं01 के वकील उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील रेस्पोडेन्ट सं01 ने दौराने बहस अवगत कराया है कि मिश्रा ने द्वितीय विवाह प्रथम विवाह वाली पत्नि स्व0 मूली के देहावसान के बाद किया था, द्वितीय विवाह श्रीमती सोमोती देवी से करते समय प्रथम विवाह वाली पत्नि जीवित नहीं थी। इसलिए अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि स्व0 मूली का देहावसान कब हुआ। मिश्रा ने अपने जीवनकाल में कभी भी कृषि भूमि का बंटवारा नहीं किया। मिश्रा अपने उत्तराधिकार के रूप में श्रीमती सोमोती देवी, रेस्पोडेन्ट नं01 व 2 तथा अपीलार्थी को छोडकर फौत हुए थे। इस प्रकार अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट नं01 व 2 तथा श्रीमती सोमोती देवी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार बहिस्सा बराबर 1/4,1/4,1/4,1/4 की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार हैं तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज व दखील हैं। सोमोती देवी दिनांक 22.10.2016 को फौत हो चुकी है, जिनकी सेवा सुश्रुषा रेस्पोडेन्ट नं01 ने की है, इसलिए सोमोतीदेवी के हिस्सा 1/4 पर रेस्पोडेन्ट नं01 काबिज एवं दखील है। सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नं0 143/2006 दिनांक 22.09.2006 को न्यायालय हाजा में पेश किया, जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.10.2007 को खारिज फरमा दिया था। उक्त आदेश की अपील, अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ पेश होने पर दिनांक 30.08.2008 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई। न्यायालय हाजा ने पुनः दिनांक 01.05.2009 को मुकदमा नं0 46/2009 के रूप में दर्ज कर दिनांक 08.04.2011 को अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पारित किया। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश की अपील सं0 41/2011 उनवानी कल्याण बनाम साबूराम माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ पेश की। जिसमें आदेश दिनांक 13.06.2011 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 08.04.2011 मुकदमा नं0 46/2009 की क्रियान्विती को स्थगित कर दिया। ग्राम पंचायत पटौंदा द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 600 दिनांक 20.04.2015 सही तस्दीक किया गया है। नामान्तकरण संख्या 600 दिनांक 20.04.2015 को सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा द्वारा तस्दीक किया गया है। किन्तु उक्त नामान्तकरण की अपील में सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। जबकि सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार था। इस प्रकार उक्त अपील में नॉन जोईण्डर ऑफ पार्टीज का नुक्ज आरिज होने के कारण अपील खारिज होने योग्य हैं तथा अपील लगभग 1 वर्ष बाद पेश की गई है जो म्याद बाहर पेश की है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण सं0 600 फैंसल दिनांक 20.04.2015 ग्राम खेडीचांदला खाता संख्या 187 कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 का खातेदार मिश्रा पुत्र भौरया जाति मीना सा0देह के फौत होने पर उसकी विरासत सोमोती बेबा मिश्रा साबूराम कल्याणसिंह पुत्र मिश्रा ख्यालबाई पुत्री मिश्रा जाति मीना सा0 देह के नाम भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा द्वारा तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 46/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एवं मुकदमा नं0 203/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 08.04.2011 के अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 10, 26, 110, 111/906, 112, 114, कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 ग्राम खेडीचांदला में सायल के 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें ना ही भूमि का रहन वयय करें, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। गैरसायल सं01 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी मुकदमा नं0 46/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण आदि खारिज किया जाता है।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर अपील संख्या 42/2011 उनवानी कल्याण वगैराह बनाम साबूराम निर्णय दिनांक 23.03.2012 की प्रति के अनुसार अपील आदेश उपजिला कलक्टर हिण्डौन उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह मुकदमा नं0 203/2009 के विरूद्ध पेश की है । उक्त अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 23.03.2012 को खारिज कर दी गई।

फोटो प्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रार्थना पत्र संख्या 07/2012 की आदेशिका दिनांक 26.06.2014 की प्रति के अनुसार कल्याण वगैराह की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन आदेश दिनांक 23.03.2012 के विरूद्ध पेश किया गया था जो दिनांक 26.06.2014 को खारिज कर दिया गया।

फोटो प्रति कार्यालय ग्राम पंचायत पटौंदा पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक 1 दिनांक 03.05.2016 में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिश्रा पुत्र भौरया जाति मीना निवासी खेडीचांदला ग्राम पंचायत पटौदा के निवासी थे, जिनकी दिनांक 27.02.2006 को मृत्यु हो चुकी है, मेरी निजी जानकारी के अनुसार उनकी दो पत्निया थी, प्रथम पत्नि स्व0 मूलीदेवी एवं द्वितीय पत्नि श्रीमती सौमोती रही है। इनकी जाति मीणा है, मीणा जाति प्रचलित परम्परा व रिति रिवाज अनुसार इनके उत्तराधिकारियों का सजरा एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निम्नानुसार है, मिश्रया पुत्र भौरया के दो पत्नियॉ

प्रथम मूली एवं द्वितीय सोमोती है तथा मूली के एक लडका साबूराम तथा सोमोती के एक लडका कल्याण एवं एक पुत्री ख्यालबाई है। उक्त संदर्भ में यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 मिश्रा पुत्र भौरया की चल व अचल सम्पत्ति पर उसकी दोनों पत्नियॉं अपने जीवन काल में बराबर बराबर यानि आधे आधे हिस्से पर काबिज व दखील रही हैं। वर्तमान में भी स्व0 मिश्रा की अचल सम्पत्ति में से स्व0 मूली मीना के हिस्से की 1/2 आराजी भूमि पर उनका पुत्र साबूराम व शेष आधे हिस्से पर उनके द्वितीय पत्नि सोमोती व उसके पुत्र कल्याण व पुत्री ख्यालबाई बहैसियत मालिक काबिज व दखील हैं, मीणा जाति में उत्तराधिकार का यही प्रचलित रीति रिवाज व विधि है। अतः यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 03.05. 2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया गया है,जो वक्त जरूरत काम आवे।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.14 है0, 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 स्थित ग्राम खेडीचांदला तहसील हिण्डौन जिला करौली की खातेदारी मिश्रा पुत्र भौरया जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकि नोट सं0 2 नि0दिं0 29.12.2012 से तहसील आदेश द्वारा आरएए के आदेश दिनांक 13.06.2011 से कृषि भूमि के अकृषि में परिवर्तन पर स्थगन है तथा नोट संख्या 3 नि0दिं0 12.04.2013 श्रीमान् आरएए सा. के निर्णय दिंनाक 23.03.2012 से अपील धारा 225 राज.टी.एक्ट खारिज होने से स्थगन समाप्त हुआ श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक 1024 दिनांक 30.01.2013 की पालना में नोट अंकित किया।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 0.14 है0, 26 रकबा 0.14 है0, 110 रकबा 0.31 है0, 111/906 रकबा 0.04 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.60 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 स्थित ग्राम खेडीचांदला तहसील हिण्डौन जिला करौली की खातेदारी सोमोती बेबा मिश्रा साबूराम कल्याणसिंह पि0 मिश्रा ख्यालबाई पुत्री मिश्रा जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन मुकदमा नं0 203/2006 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह की आदेशिका दिनांक 09.03. 2016 तक की एवं वाद पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मुकदमा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा नं0 203/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2011 के अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 10, 26,

110, 111/906, 112, 114, कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 ग्राम खेडीचांदला में सायल को 1/2 हिस्से के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें ना ही भूमि का रहन वयय करें, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। गैरसायल नं01 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी मुकदमा नं0 36/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण आदि खारिज किया गया है। जो आदिनांक तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से साबित नहीं होता है अर्थात दिनांक 08.04.2011 को जारी स्थगन आदेश आदिनांक तक प्रभावी है क्योंकि अपीलान्ट का मूल वाद अभी विचाराधीन है तथा विवादित नामान्तकरण संख्या 600 ग्राम खेडीचांदला उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 10, 26, 110, 111/906, 112, 114, कुल किता 6 कुल रकबा 1.29 है0 ग्राम खेडीचांदला का मिश्रा की विरासत का भरकर दिनांक 20.04.2015 को भरकर सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा द्वारा तस्दीक किया गया है। जबकि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा नं0 203/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2011 के अनुसार रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं0 600 फैंसल दिनांक 20.04.2015 दौराने स्थगन भरकर तस्दीक किया गया है, जो नल एण्ड बोईड है। सरपंच ग्राम पंचायत पटौंदा ने न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना की है। स्थगन आदेश जारी होने के उपरान्त भरा गया नामान्तकरण सं0 600 फैंसल दिनांक 20.04.2015 कानूनन अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए स्थगन आदेश दिनांक 08.04.2011 की पालना सुनिश्चित कराया जाना न्यायोचित है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 600 फैंसल दिनांक 20.04.2015 ग्राम खेडीचांदला तहसील श्रीमहावीरजी निरस्त किया जाता है। मुकदमा नं0 203/2009 उनवानी साबूराम बनाम कल्याण वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2011 की समाप्ति तक नामान्तकरण सं0 600 फैंसल दिनांक 20.04.2015 ग्राम खेडीचांदला तहसील श्रीमहावीरजी से पूर्व की स्थिति यथावत रखी जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...27.9.22....... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली